गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

शमन/स्वीकृति पत्र

पत्रांक – 12 /प्रवर्तन जोन–8/2018 दिनाँक – 27/03/2018

सेवा में,

मै0 संजीव अरोड़ा एण्ड कं0 इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा0लि0
द्वारा डायरेक्टर श्री विजय कुमार रावत
खसरा सं0–898, 542 नूरनगर जी0एन0बी0,
राजनगर एक्स0, गाजियाबाद।

विषयः– खसरा सं0–2115, 2049, 2108, 2116, 2117, 2055, 2056, 2114, 2057 व 2063 ग्राम–बेहटा हाजीपुर लोनी गाजियाबाद पर निर्मित दिल्ली–99 ग्रुप हाउसिंग योजना के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2017 शपथ पत्र दिनांक 03.10.17 एवं संलग्न शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 20.11.17 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि 1,78,33,762/– दिनांक 09.12.2017 से 22.02.18 तक प्राधिकरण कोष में जमा करा दिया गया है। शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

शर्तें:–

1. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिश्चित करनी होगी।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा।
4. शपथ पत्र दिनांक 03.10.17, 27.03.18 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. उपरोक्त बिन्दु 02 से 04 तक की शर्तों के अनुपालन के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।
6. भवन स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. शमन उपरान्त स्वीकृत इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नही करेंगे।
8. मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–43362/2001 एवं 2435 एम.बी./2001 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
9. शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
10. शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. शमनित भवन की गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल, डिजाईन आदि में कमी अथवा किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. समस्त विकास कार्य पी0डब्लू0डी0 व जल निगम के मानको के अनुरूप कराना होगा एवं शमन/पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन के समय पी0डब्लू0डी0 व जल निगम व विद्युत विभाग की अनापत्ति, कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत करनी होगी ।
13. एल0एम0सी0/नगर निगम की भूमि पर कोई मानचित्र स्वीकृति नहीं दी जा रहीं है । प्रश्नगत भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरोड़, ग्राम समाज/सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम/जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
14. आवेदक को भवन अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 में दिये गये मानको/शर्तो एवं अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
15. कन्वीनियन्ट शॉप के अतिरिक्त किसी भी भाग का उपयोग व्यवसायिक/दुकानो के रूप में नहीं किया जायेगा । अर्थात शटर इत्यादि लगाया जाना अनुमन्य नहीं होगा । उपरोक्त स्थलो पर शोरूम, बैंक, आफिस, होटल

27.3.18
एस. के. श्रीवास्तव
अवर अभियन्ता

27.3.18

अथवा अन्य कामर्शियल प्रकृति का निर्माण/उपयोग अनुमन्य नहीं होगा । इस प्रकार के प्रयोग को भू–उपयोग के विरूद्व माना जायेगा ।

16. पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किये जाने से पूर्व स्थल पर स्वीकृत शमन मानचित्र में दर्शायी गयी पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. पूर्व स्वीकृत मानचित्र सं0–230/प्रवर्तन जोन–8/जी0एच0/13–14 में दी गयी शर्तों एवं उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
18. उपरोक्त शर्तें शमन मानचित्र की पुस्त पर चस्पा कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः शमन मानचित्र की एक सैट उपरोक्तानुसार।

27/03/18

(रणवीर सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन–8

27.3.18
एस. के. श्रीवास्तव
अवर अभियन्ता